

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू,



एमसीआईआर

खण्ड | XIV अंक 10 | मई 2019

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील उन्नत पूंजी बाजार

विषयवस्तु

अनुभाग	पृष्ठ
I. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	1
II. मुद्रा प्रबंधन	2
III. वित्तीय बाजार	2
IV. गैर-बैंकिंग विनियमन	2
V. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
VI. आंतरिक ऋण प्रबंध	4
VII. आरबीआई कहता है	4
VIII. अनुसंधान	4

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 29 मई, 2019 को मुंबई में अपने केंद्रीय कार्यालय में 'उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील उन्नत पूंजी बाजार' पर संगोष्ठी आयोजित की। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अपनी शुरुआती टिप्पणी में उन्होंने अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की गिरती दरों और इस प्रवृत्ति को रोकने में पूंजी बाजार क्या भूमिका निभा सकता है इस बात पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार आर्थिक एजेंटों को जोखिमों के संयोजन, मूल्यन, विभाजन और विनिमय के लिए सक्षम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. रायन बनर्जी ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली (सीजीएफएस) पर समिति की 'स्थापित व्यवहार्य पूंजी बाजार' रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डाला। समिति की सह-अध्यक्षता रिज़र्व बैंक के डॉ. विरल वी. आचार्य और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के डॉ. ली बो ने की थी। संगोष्ठी में, 'उभरते बाजारों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पूंजी बाजारों के वैश्विक अभिसरण के लिए इससे ज्यादा और कितना समय लगेगा' इस विषय पर पैनल चर्चा हुई। पैनल में डॉ. जॉन क्लार्क, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; श्री रिधम देसाई, मॉर्गन स्टेनली; डॉ. रायन बनर्जी, बीआईएस; श्री टी. रवि शंकर, रिज़र्व बैंक और डॉ. मृदुल सागर, रिज़र्व बैंक (मॉडरेटर) शामिल हुए।

I. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

I. क. एफपीआई द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मई, 2019 से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार संशोधित स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना खुली की: -

क. वीआरआर - संयुक्त श्रेणी के तहत निवेश की सीमा 54,606.55 करोड़ होगी, तथा सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण दोनों में निवेश की अनुमति होगी।

ख. न्यूनतम प्रतिधारण अवधि तीन वर्ष होगी। इस अवधि के दौरान, एफपीआई भारत में आवंटित राशि का न्यूनतम 75% बनाए रखेगा।

ग. निवेश सीमाएं 'टैप' पर उपलब्ध होंगी और इन्हें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

घ. योजना के पूरी तरह से आवंटित हो जाने तक या 31 दिसंबर, 2019 तक, जो भी पहले हो, तक 'टैप' खुला रखा जाएगा।

च. एफपीआई अपने संबंधित संरक्षकों के माध्यम से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) में निवेश की सीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

छ. सीसीआईएल आवेदन और आवंटन के परिचालन विवरण को अलग से सूचित करेगा।

ज. 11 मार्च से 30 अप्रैल, 2019 के दौरान खुले रहने वाले टैप के तहत जिन एफपीआई को निवेश की सीमाएं आवंटित की गई हैं, वे अपने विवेक से अपने संबंधित संरक्षकों के माध्यम से सीसीआईएल को सूचना देते हुए अपने पूर्ण आवंटन को 'वीआरआर - कंबाइंड' में बदलने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

इस तरह के रूपांतरण उपरोक्त पैरा (क) में दर्शाए गए 54,606.55 करोड़ रुपये की निवेश सीमा का उपयोग नहीं करेंगे। <https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11561Mode=0>

संपादक से नोट

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक का यह मासिक प्रकाशन हमें मुद्रा और क्रेडिट के विश्व में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई नीतिगत पहलों और नए विकास के बारे में जानकारी रखने में सक्षम बनाता है। एमसीआईआर <https://mcir.rbi.org.in> पर उपलब्ध है। संचार के इस प्रभावशाली साधन के माध्यम से, हम सूचना को साझा करने, शिक्षित करने और तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए संपर्क में रहने का लक्ष्य रखते हैं। हम आपकी फीडबैक का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करेंगे।

योगेश दयाल
संपादक

II. सुरक्षा प्रबंध

II. क गैर-चेस्ट शाखाओं को सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन

गैर-चेस्ट शाखाओं के लिए सेवा में सुधार के लिए आधुनिक मुद्रा चेस्टों (सीसी) को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने उन्हें गैर-चेस्ट बैंक शाखाओं द्वारा जमा की गई नकदी पर सेवा शुल्क की मौजूदा दर, 100 नोटों के प्रत्येक पैकेट के लिए ₹5 को ₹8 तक बढ़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए केवल, 08 अप्रैल, 2019 के हमारे परिपत्र [भारिबैंक/2018-19/166 डीसीएम\(सीसी\)संख्या2482/03.39.01/2018-19](#) में दिए गए विस्तृत न्यूनतम मानकों को पूरा करनेवाले बड़े आधुनिक मुद्रा चेस्ट को ही वर्गीकृत होने के लिए पात्र माना जाएगा। बैंक ऐसे वर्गीकरण के लिए रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में सीसी स्थित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय द्वारा वर्गीकृत किए जाने के बाद ही बड़े हुई दर पर शुल्क लिया जा सकता है। बैंक अतिरिक्त सूचना के लिए 21 जनवरी, 2016 के परिपत्र [भारिबैंक/2015-16/293डीसीएम\(एनपीडी\) संख्या.2564/09.40.02/2015-16](#) का संदर्भ ले सकते हैं।

III. वित्तीय बाजार

III. क कॉरपोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्यबल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री टी.एन. मनोहरन, अध्यक्ष, केनरा बैंक की अध्यक्षता में 29 मई 2019 को कॉरपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक कार्यबल का गठन किया। कार्यबल गठित करने का निर्णय 4 अप्रैल 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था। द्वितीयक बाजार को गहरा करने के लिए एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता को और व्यापार के निहित जोखिम की अधिक पारदर्शिता के लिए एक अच्छी तरह से विकसित माध्यमिक बाजार के महत्व को महसूस करते हुए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस तरह कीमत अन्वेषण से प्रतिभूति बाजार में नवाचारों के साथ-साथ कॉरपोरेट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस) जैसे निष्क्रिय बाजारों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। टास्क फोर्स के अधिक विवरण के लिए कृपया यहां [क्लिक](#) करें।

III. ख आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 को डॉ. हर्ष वर्धन की अध्यक्षता में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति का गठन किया। वर्ष 2019-20 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, यह घोषित किया गया था कि रिज़र्व बैंक आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक समिति का गठन करेगा। भारत में बंधक प्रतिभूतिकरण बाजार मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति दोनों के साथ-साथ कुछ विवेकपूर्ण, कानूनी, कर और लेखांकन मुद्दों को प्रभावित करने वाले विभिन्न संरचनात्मक कारकों के कारण बाजार सहभागियों के सीमित समूह के बीच प्रत्यक्ष कार्य द्वारा अभिशासित है। एक व्यवसायिक प्रतिभूतिकरण बाजार को विकसित करने के लिए, यह जरूरी है कि बाजार विभिन्न निवेशक वर्गों के लिए साधनों की उपयुक्त संरचना के साथ एक व्यापक निर्गमन मॉडल की ओर बढ़े। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखकर समिति का गठन किया है। समिति संबंधी अधिक विवरणों के लिए कृपया यहां [क्लिक](#) करें।

III. ग आरबीआई के स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा

रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2019 को स्पष्ट किया कि उसके द्वारा रखा गया स्वर्ण भंडार सुरक्षित अभिरक्षा में हैं और आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित नहीं किया गया है। प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में रिपोर्ट किया गया। मीडिया रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें।

IV. गैर-बैंकिंग विनियमन

IV. क एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क पर एक मसौदा परिपत्र रखा है, जिसे सभी जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी, ₹100 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले जमा न स्वीकार करने वाले एनबीएफसी और रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सीआईसी द्वारा अपनाया जाएगा। मसौदे में जमा स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी; और ₹5000 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले जमा न स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) शुरू करने का प्रस्ताव है। हालांकि एएलएम फ्रेमवर्क पर

एनबीएफसी के लिए लागू कुछ मौजूदा विनियामक निदेश अपडेट/पुनर्गठित किए गए हैं, उनमें नयी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। एलसीआर व्यवस्था के लिए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रस्ताव यह है कि इसे अप्रैल 2020 से शुरू करके अप्रैल 2024 तक के चार वर्षों की अवधि के लिए उड़ान पथ के माध्यम से नपे-तुले (कैलिब्रेटेड) तरीके से लागू किया जाए। रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम दिशानिर्देश जारी करने से पहले विचार के लिए फ्रेमवर्क पर चाहता है। एनबीएफसी, विपणन भागीदार और अन्य शेयरधारकों से सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी है। प्रतिक्रियाएं भेजने की अंतिम तारीख 14 जून 2019 है। यहां [क्लिक](#) कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

IV. ख एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी

प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि 50 बिलियन रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफसी स्पष्ट विनिर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व प्रदान कर सीआरओ की नियुक्ति करें। सीआरओ से यह अपेक्षित है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे ताकि जोखिम प्रबंधन के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। सीआरओ की नियुक्ति के लिए निर्देशों को सूचीबद्ध किया गया है। निर्देशों के अनुसार, सीआरओ एनबीएफसी के पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होगा और उसके पास जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक और यथोचित व्यावसायिक योग्यता/अनुभव रहेगा। सीआरओ की नियुक्ति एनबीएफसी के बोर्ड के अनुमोदन से नियत कार्यकाल के लिए की जाएगी। सीआरओ को सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है/ उसके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रकार के अवधिपूर्व स्थानांतरण/ हटाए जाने की सूचना गैर- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देनी होगी, जिनके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी पंजीकृत है। सूचीबद्ध एनबीएफसी द्वारा सीआरओ के पदग्राही में किसी प्रकार के बदलाव की रिपोर्टिंग स्टॉक-एक्सचेंज में भी करनी होगी। इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी के लिए यहां [क्लिक](#) करें। [तदनुसार, मास्टर दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिपॉजिट न लेनेवाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी \(रिज़र्व बैंक\) के निर्देश, 2016](#) को भी संशोधित किया गया है।

IV. ग प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट

एनबीएफसी द्वारा उनकी पात्र परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण/समनुदेशन को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 नवंबर 2018 को जारी परिपत्र संख्या बैंवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 द्वारा यह निर्णय लिया था कि 5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के संबंध में प्रवर्तक एनबीएफसी के लिए न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) में छूट प्रदान करते हुए, इसे, चुकौती की

छ: मासिक किस्तें अथवा दो तिमाही किस्तें (जो भी लागू हो) किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन हो:

- ऐसे प्रतिभूतीकरण/समनुदेशन लेनदेन के लिए न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर) प्रतिभूतित किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 20%/समनुदेशित परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह का 20% होगी।
- अब उपर्युक्त परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों पर छूट को 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए यहां पर [क्लिक](#) करें।

V. भुगतान और निपटान प्रणाली

V. क भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मई 2019 को अपनी वेबसाइट पर भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021 प्रकाशित किया। भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। यह प्रतिस्पर्धा, लागत प्रभावशीलता, सुविधा और आत्मविश्वास (4सी) के लक्ष्य पदों के माध्यम से एक 'उच्च डिजिटल' और 'अल्प नकदी (कैश-लाइट)' समाज बनाने की परिकल्पना करता है। विजन 2019-2021 दस्तावेज रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में रखा गया है और यहां पर [क्लिक](#) कर इसे एक्सेस किया जा सकता है।

V. ख विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2019 में श्री नंदन नीलकणि की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतानों पर गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 मई 2019 को गवर्नर को सौंप दी है। समिति ने विभिन्न हिताधिकारियों के साथ विचार-विमर्श सहित अपने विचार रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और 15 मई 2019 को प्रकाशित अपने [भुगतान प्रणाली विजन 2021](#) में, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, कार्रवाई बिंदुओं को कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध करेगा।

V. ग आरटीजीएस - ग्राहक लेनदेन के लिए समय को बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेन (प्रारंभिक कट-ऑफ) के लिए समय को शाम 4.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, यह समय 01 जून, 2019 से प्रभावी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

VI. आंतरिक ऋण प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हर महीने जून 2019 से सितंबर 2019 तक जारी किया जाएगा। बॉण्डों की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंको के अलावा), भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी। जारी करने का कैलेंडर और बॉण्ड की विशेषताओं जैसे विवरण यहां [क्लिक](#) करके देखे जा सकते हैं।

VII. आरबीआई कहता है

अपनी नवीनतम जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक बैंकिंग लोकपाल के विषय पर जागरूकता संदेशों की एक श्रृंखला के साथ लोगों को बैंक ग्राहकों के रूप में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में जागरूक करने के लिए सामने आया है। हमारे जन जागरूकता अभियान; आरबीआई कहता है; के माध्यम से, हम लोगों को उनके द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में जागरूक करने का भी लक्ष्य रखते हैं।

क्या आपकी बैंकिंग की शिकायत का समाधान नहीं हो रहा?

आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कीजिए - बैंकिंग का थर्ड अंपायर



उमेश यादव भारतीय क्रिकेट और आरबीआई का वक्ता

के.एल. राहुल भारतीय क्रिकेट और आरबीआई का वक्ता

- यदि बैंक आपकी शिकायत का समाधान एक महीने में आपकी संतुष्टि के अनुसार नहीं करता है, तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कीजिए
- बैंकिंग लोकपाल योजना नि: शुल्क और बिना परेशानी के आपकी बैंकिंग शिकायतों को सुलझाने का आसान तरीका है
- बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग सेवाओं में व्याप्त कमियों को संबोधित करता है

अधिक जानकारी के लिए, 14440 पर निरड कॉल करें या <https://bankingombudsman.rbi.org.in> देखें इस विज्ञापन पर क्लिक करने के लिए, rbi.khatatalka@rbi.org.in को लिखें

आरबीआई कहता है: जागरूक रहिए!

जगति में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

VIII. अनुसंधान

VIII.क मिनट स्ट्रीट मेमो

मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान: भारत में हाल का अनुभव और एक क्रॉस-कंट्री मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 'मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान: भारत में हाल का अनुभव और एक क्रॉस-कंट्री मूल्यांकन' शीर्षक से 'मिनट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) श्रृंखला के तहत उन्नीसवाँ अंक जारी किया। यह पेपर जनक राज, मुनेश कपूर, प्रज्ञा दास, अशीष थॉमस जॉर्ज, गरिमा वाही द्वारा लिखी गयी और पवन कुमार द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया, जिसमें बृहद पूर्वानुमान त्रुटियों की पहचान और इसके अंतर्निहित कारकों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह दस्तावेज़ निम्न लिंक द्वारा एक्सेस किया जा सकता है:

<https://rbi.org.in/Scripts/MSMMintstreetmemos19.aspx>

VIII.ख वर्किंग पेपर श्रृंखला

सीमा-पारीय व्यापार क्रेडिट : भारत के लिए संकट के बाद का अनुभवजन्य विश्लेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला* के अंतर्गत "सीमा-पारीय व्यापार क्रेडिट : भारत के लिए संकट के बाद का अनुभवजन्य विश्लेषण" शीर्षक से वर्किंग पेपर उपलब्ध कराया है। यह पेपर राजीव जैन, धीरेंद्र गजभिये और सौमश्री तिवारी द्वारा लिखा गया है। यह पेपर भारतीय और विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय आयातकों के उनके आकार, संरचना और लागत पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदान किए गए व्यापार क्रेडिट का चित्र प्रस्तुत करता है। 2007-08:ति1 से 2016-17: ति4 के लिए 55 बैंकों के एक पैनेल डेटा का उपयोग करते हुए, पेपर पाता है कि दोनों मांग और आपूर्ति पक्ष व्यापार क्रेडिट के प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

पेपर सुझाव देता है कि उच्च आयात - चाहे उच्च कीमतों या वॉल्यूम के कारण हो - व्यापार ऋण में वृद्धि का नेतृत्व करता है। आपूर्ति पक्ष के दृष्टिकोण से, बैंकों की वित्तीय स्थिति, व्यापार ऋण की लागत और उनके विदेशी नेटवर्क का आकार उनके व्यापार ऋण परिचालन को प्रभावित करते हैं। पेपर के अनुभवजन्य निष्कर्ष यह सुझाव देते हैं कि बैंकों को अपने वैश्विक बैंकिंग संबंधों का विस्तार करने और स्वदेशी साधनों (अर्थात, एलओयू / एलओसी) के बजाय वैश्विक रूप से स्वीकृत किए गए व्यापार वित्त साधनों के उपयोग की ओर अंतरित होने की आवश्यकता है, हालांकि, जो, लागत को बढ़ा सकता है। यह दस्तावेज़ निम्न लिंक द्वारा एक्सेस किया जा सकता है:

<https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18950>